

पत्रांक: /आयुक्त राज्य कर/उत्तरा0/फार्म-अनु0/2017-18/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(फार्म-अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक:: 12 सितम्बर, 2017

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :-

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड लि0, काशीपुर। टिन-05002620383	प्रारूप- XVI (42)	U.K.VAT-M 2012 0298827,1651402,1651445,1740143,1740167, 1740168,1740226,1740229,1740326,1740584, 3922546,3922871,3923110,3923131,5797328, 5797329,5797354,5797802,5797818,5797976, 5798011,5798017,5798069,7383467,7383468, 7383469,7383503,7383504,7383505,7383545, 7383553,7383627,7383628,7383629,7383659, 7383695,7383771,7383772,7383776,7383882, 7383885,7383955	खोने के कारण

(विपिन चन्द्र)

अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0संख्या 2834 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर आयुक्त राज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
- 3- संयुक्त आयुक्त राज्य कर (कार्य0/प्रव0) देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/सचलदल इकाईयो को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- उपायुक्त (एस0टी0एफ0) वाणि0कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर एवं काशीपुर,।
- 5- श्रीमति नीलम ध्यानी उपायुक्त, राज्य कर/web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।